:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल

मुकदमा नम्बरः– 36/2021 राजस्व वाद

1. श्री नारायण पिता हाजुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
2. श्री लालशंकर पिता हाजुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

——वादीगण

बनाम

1. श्री मनजी पिता हाजुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
2. नानी पत्नी हांजुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
3. श्री लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,183, 188, 92क, 209 राज.का.अधिनियम

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादीगण।
2 श्री विरेन्द्र सिंह चौहान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

:: निर्णय :: दिनांक 23/07/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी मौजा बेडसा के जमाबन्दी खाता सख्या 456 के खसरा सख्या 3011/1234 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर बीघा भूमि है। जिसका मौके पर आपसी बटवारा पिता के जीवनकाल से ही हो गया है तथा तब से उसी अनुसार काबीज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी का पेढीनामा निम्नानुसार हैः–

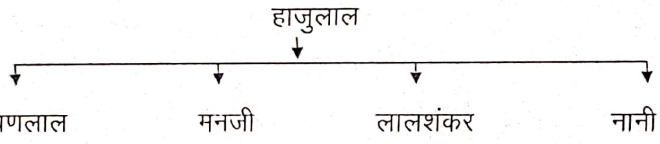

यह कि वादग्रस्त आराजी में मौके पर आपसी बटवारा अनुसार काबीज होने के बावजूद विपक्षी सख्या 1 जबरान वादीगण के हक हिस्से में आई जमीन पर नींव खोद कर मकान बनाने को आमदा है तथा नीव खोद दी गई है तथा नींव भरने की तैयारी भी की है। जबकि प्रतिवादी सख्या 1 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा उक्त आराजी में एक मकान पूर्व में ही बना दिया है तथा दूसरा मकान प्रतिवादीगण के हक हिस्से की जमीन में बनाने को आमादा है। प्रतिवादीगण का भरण–पोषण, दवाई जीवन जरूरीयात की आवश्यकताए काश्त से पुरी होती है जबकि विपक्षी द्वारा जबरान वादीगण के हक हिससे की जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा है जो रूकवाया जाना आवश्यक है। साथ ही वादीगण द्वारा बिना अतिक्रमण कर जबरन बनाया गया मकान धवस्त कर हटाया जाना भी आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को रिकोर्डेड बंटवारा करवा देने के बाद निर्माण कार्य करने का कहा तो

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण किसी बात को मानने को तैयार नहीं है तथा जबरन वादीगण के हक हिस्से की जमीन में प्रवेश कर निर्माण करने को आमादा है वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण बिना किसी रिकार्डेड बटवार करवाए अवैध रूप से मकान निर्माण कार्य कर रहा है ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है कि मूल वाद के निस्तारण कर वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न स्वयम् करे ना ही किसी अन्य के माध्यम से करावे। अन्यथा प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षती होगी। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर अनुतोष दिया जावे कि– कः– यह कि वादग्रस्त आराजी मौजा बेडसा के जमाबन्दी खाता सख्या 456 के खसरा सख्या 3011/1234 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर बीघा भूमि मे प्रतिवादी द्वारा जबरन बनाए मकान का क्षैत्रफल प्रतिवादी के हक हिस्से से कम किया जाकर, रिकार्ड एवं लोकेशन के आधार पर बटवारा किया जावे। खः– यह कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निर्माण वादी के हक हिस्से वाली जमीन में आता है तो प्रतिवादी का निर्माण ध्वस्त किया जावे। गः– यह कि वादग्रस्त आराजी का बटवारा उपरान्त वादी के हक हिस्से में आई जमीन पर प्रतिवादी द्वारा, उसके मित्र एजेन्ट मजदूर द्वारा कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने के आशय की डिकी पारित की जावे।

प्रकरण में प्राथमिक डिकी एवं आदेश जारी कर, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा से विभाजन प्रस्ताव मगवाया गया। तहसलीदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

::आदेश::

अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। मौजा बेडसा के जमाबन्दी खाता संख्या 456 के खसरा सख्या 3011/1234 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त हुआ विभाजन प्रस्ताव, नक्षा ट्रेस आदि इस आदेश/डिकी का भाग है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाते अलग–अलग कायम किए जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादी को बंटवारे में मिली भूमि वादी की उपस्थिति में मौके पर लाईनिंग कर दी जावे। आदेशानुसार बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किये जावे। आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 23/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में अन्तीम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल

श्री नारायणलाल बनाम श्री मानजी आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधज्ञा।

प्रकरण सख्याः–36/2021

आज दिनांक 23/07/2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु अन्तिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बेडसा के जमाबन्दी खाता संख्या 456 के खसरा सख्या 3011/1234 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त हुआ विभाजन प्रस्ताव, नक्षा ट्रेस आदि इस आदेश/डिकी का भाग है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाते अलग–अलग कायम किए जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादी को बंटवारे में मिली भूमि वादी की उपस्थिति में मौके पर लाईनिंग कर दी जावे। आदेशानुसार बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किये जावे। आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करें।

आज दिनाक 23/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner